उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आॅ0–माजरा, देहरादून

फोन–0135–2641115 फैक्स–2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रारूप, सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप और लघु सोलर पीवी प्लांट्स के लिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2017–18 और उसके उपरान्त लागू होंगे, के लिये वेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा संशोधित आदेश पर सुझाव आमंत्रण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zd) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप और लघु सोलर पीवी प्लांट्स के लिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2017–18 और उसके उपरान्त लागू होंगे, के लिये वेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा संशोधित आदेश (Order on Review of the Benchmark Capital Cost for Solar PV, Solar Thermal and Grid Interactive Rooftop & Small Solar PV Plants to be applicable for FY 2017-18 and onwards) जारी किये गये है। उक्त प्रारूप आदेश दिनांक 17.05.2017 आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in में अपलोड किया गया है।

प्रारूप आदेश पर सभी स्टेकहोल्डर्स से अपने सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदन आमंत्रित किये जाते है। जो कि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.06.2017 तक डाक द्वारा, ई–मेल या व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के उपरान्त आयोग कार्यालय को प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर आदेश को अन्तिम रूप देते समय, विचार नहीं किया जाएगा।

वि0 सं0– 01/2017–18

सचिव